झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा
द्वितीय (बजट) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 12.03.2020 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री सुदेश कुमार महतो स0वि0स0	राज्य में लगभग 65 हजार पारा शिक्षक वर्षों से कार्यरत हैं। मानदेय के रूप में इन्हें बहुत ही कम राशि भुगतान की जाती है। इनके द्वारा लगातार सेवा स्थायीकरण एवं नियमितीकरण की मांग की जाती रही है। आंदोलन के कम में कई बार इन्हें पुलिस की लाठी खानी पड़ी है और जेल भी जाना पड़ा है। अतः राज्य के पारा शिक्षकों के सेवा नियमितीकरण/स्थायीकरण अविलम्ब करने हेतु सरकार का ध्यानाकृष्ट करना चाहता हूँ ।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता
02-	श्री समीर कुमार महांती स0वि0स0 श्री सुखराम उराँव स0वि0स0 श्री संजीब सरदार स0वि0स0	कोल्हान युनिवर्सिटी के अन्तर्गत B.E.D का सत्र विलम्ब से चलने के कारण तीसरा सेमेस्टर के विद्यार्थियों को छात्रवृति हेतु सम्बंधित ऑनलाईन पोर्टल पर आवेदन करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 14 नवम्बर, 2019 थी जब कि उक्त तिथि तक विद्यार्थियों के द्वितीय सेमेस्टर की	उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास

01.	02.	03.	04.
		परीक्षा ही नहीं हुई थी। फलतः वे छात्रवृति के लिए आवेदन से वंचित रह गये। बाद में स्थिति को देखते हुए पोर्टल को 10 मार्च, 2020 तक खोला गया पर दुर्भाग्य की बात यह है कि उसमें सिर्फ वैसे ही विद्यार्थी डॉक्युमेंट अपलोड कर सकते हैं जिन्होंने पहले आवेदन दिया हो। अतः सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए माँग करते हैं कि सम्बधित ऑनलाईन पोर्टल की विसंगतियों को यथाशीघ्र दूर किया जाए ताकि विद्यार्थियों को छात्रवृति मिल सके।	
03-	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, स0वि0स0	गढ़वा जिले के कांण्डी प्रखण्ड में सतवहिनी तीर्थ स्थल अत्यन्त प्राचीन है जहाँ वर्ष में दो बार लाखों की संख्या में श्रद्धालू आते हैं। उक्त तीर्थ स्थल पर अत्यन्त प्राचीन मंदिर है तथा 24 एकड़ क्षेत्र में मंदिरों एवं मूर्तियों के भग्नावशेष पड़े है। उक्त तीर्थ स्थल के विकास हेतु वर्ष 2019 में 1.25 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, परन्तु स्थल पर कार्य दिखाई नहीं पड़ रहा है। अतः जनहित में सरकार उक्त स्थल का समुचित विकास करे, इस ओर सदन का ध्यानाकृष्ट करता हूँ।	पर्यटन कला संस्कृति खेल कुद एवं युवा कार्य
04-	श्री उमा शंकर अकेला स0वि0स0 श्री मथुरा प्रसाद महतो स0वि0स0	झारखण्ड अभियंत्रण सेवा नियमावली 2016 के कतिपय अंश अर्थात नियम सं0- 76(iii),8(i) का अंश तथा इसके कई अन्य नियम दोषपूर्ण रहने के कारण विगत 4 वर्षों में सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता के पद पर नई नियमावली से पदोन्नति बाधित है।	पथ निर्माण

01.	02.	03.	04.
		उक्त आलोक में विद्वान महाधिवक्ता के परामर्श पर नियमावली के दोषपूर्ण प्रावधान को हटाकर संशोधन नियमावली के निमित्त प्रक्रिया पथ निर्माण विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया। कार्मिक विभाग द्वारा केन्द्रीय सेवा शर्त के आलोक में एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ/अन्य पीठ से स्थापित नियम/सिद्धान्त के अधीन संशोधन नियमावली एवं संलेख प्रारूप पर सहमति एवं अनुमोदन अगस्त, 2018 में ही प्रदान कर दिया गया है, परन्तु संशोधन का प्रस्ताव संचिका के मकरजाल में अभी तक लम्बित है। प्रक्रियाधीन संशोधन में वर्षों तक विलम्ब होने से डिप्लोमा संवर्ग के अभियंताओं का उच्चत्तर पदों पर प्रोन्नति के अवसर पूर्णतः बाधित है तथा ये सेवानिवृत होते जा रहे है, जो इनके संवैधानिक अधिकारों को छीनने जैसा है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 में पथ निर्माण विभाग ज्ञापांक-11-अ0सू0/2014-5960 (s) WE दिनांक- 05.08.2014 से कार्यपालक अभियंता के कुल संवर्गीय पद का 33 प्रतिशत पद डिप्लोमा संवर्ग के सहायक अभियंता से कार्यपालक अभियंता के पद पर प्रोन्नति का कोटा अनुमान्य होना पूर्व से ही स्वीकार किया हुआ है। अतः प्रस्तावित प्रक्रियाधीन अभियंत्रण सेवा (संशोधन) नियमावली के अनुरूप ही सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता एवं अन्य उच्चत्तर पदों को प्रोन्नति से भरने के लिए सदन के माध्यम से हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते है।	
05	श्री सरयू राय स0वि0स0	दिनांक-16 फरवरी, 2020 को पलामू टाइगर रिजर्व (पीटीआर) में एक बाघिन मृत पाई गई। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा बाघ/बाघिन की मौत की जाँच के लिये निर्धारित निर्देशों का पालन किये बिना वन विभाग	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन

01.	02.	03.	04.
		के अधिकारियों ने शव को जला दिया। इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि बाघिन बूढ़ी हो गई थी, इसके नाखून झड़ गये थे, वह भूखी थी। इसे गौर (बाइसन) नामक जंगली जानवर के झुंड ने मार दिया। यह निष्कर्ष भ्रामक है। एन.टी.सी.ए. गाइडलाईन के अनुसार बाघिन की मौत की जाँच प्रथमतः शिकार हुआ मानकर की जानी चाहिए, जो नहीं हुआ है। बाघिन की मौत का कारण पीटीआर प्रबंधन की लापरवाही है। गश्ती एवं पर्यवेक्षण की कमी से यह मौत हुई है। पीटीआर की स्थिति देश में सर्वप्रथम घोषित टाइगर रिजर्वों में सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है। फिर भी यहाँ बाघों के पर्यावास पर प्रश्न चिह्न है। उनका जीवन सुरक्षित नहीं है। क्षेत्र निदेशक, पीटीआर द्वारा शिकारियों को देखते ही गोली मार देने का निर्देश देने और इसे अखबारों में प्रकाशित करा देने मात्र से बाघों की सुरक्षा नहीं हो सकती। बाघिन की मौत की जाँच स्वतंत्र बाहा विशेषज्ञों की टीम से करायी जाय, ताकि सही मामले में जिम्मेदारी सुनिश्चित हो सके। पीटीआर में बाघों के पर्यावास एवं वन्यजीवों की श्रृंखला का संवर्द्धन हो सके और बाघिन की मौत के लिये दोषियों पर कार्रवाई हो सके। मैं अविलंबनीय महत्व के इस विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ और इस मामले की जाँच स्वतंत्र एवं उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समूह से कराने की माँग करता हूँ।	

राँची,
दिनांक- 12 मार्च, 2020 ई०।

महेन्द्र प्रसाद
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-01/2020-942/वि0 स0, राँची, दिनांक- 07/03/2020

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय राँची/स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग/उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग/पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग/ पथ निर्माण एवं वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/03/2020
(विष्णु पासवान)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-01/2020-942/वि0 स0, राँची, दिनांक- 07/03/2020

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

07/03/2020
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-

07.03.20